उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार।

Email :: soexamtwo2@gmail.com

संख्या :: 149/04/E2/DR/CIVIL JUDGE/2024-25 दिनांक :: 20 अगस्त, 2025

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) परीक्षा–2023

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या– 04/E-2/DR/Civil Judge/2024-25, दिनाँक 16 मई, 2025 द्वारा विज्ञापित "**उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) परीक्षा–2023**" के अन्तर्गत **प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)** का आयोजन **दिनाँक 31 अगस्त, 2025 (रविवार)** को एकल सत्र (प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक) उत्तराखण्ड राज्य के 04 जनपदों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर किया जाएगा।

2– इस संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित **रिट याचिका सं0 570/2025 श्रव्या सिंधुरी बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग व अन्य** में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.08.2025 के अनुपालन में ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी जिनके द्वारा परीक्षा हेतु सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व अन्य किसी भी श्रेणी/उपश्रेणी के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन किया गया है को परीक्षा में सम्मिलित किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है एवं उपरोक्त श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जो श्रुतलेखक की सुविधा का उपयोग करना चाहते हैं, वे श्रुतलेखक की सुविधा प्रदान किए जाने हेतु ई–मेल soexamtwo2@gmail.com के माध्यम से आयोग कार्यालय में दिनांक 22.08.2025 को सायं 5:00 बजे तक प्रत्यावेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3– स्वयं श्रुतलेखक लाने वाले दिव्यांग अभ्यर्थी श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो, आई0डी0 एवं श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता के संबंध में उसकी अंक–तालिका/प्रमाण–पत्र ई0–मेल soexamtwo2@gmail.com के माध्यम से आयोग कार्यालय में दिनांक 22.08.2025 को सायं 5:00 बजे तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। **श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता संबंधित परीक्षा हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता से एक स्तर कम होनी चाहिए किन्तु किसी भी दशा में हाईस्कूल से न्यून नहीं होनी चाहिए।**

4– आयोग द्वारा श्रुतलेखक (scribe) उपलब्ध कराए जाने हेतु दिव्यांग अभ्यर्थी अपना आवेदन **सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार, पिन–249404 को संबोधित करते हुए** दिनांक 22.08.2025 को सायं 5:00 बजे तक आयोग कार्यालय में ई–मेल **soexamtwo2@gmail.com** के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा ऐसे अभ्यर्थियों को हरिद्वार में परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जायेगा। ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी परीक्षा तिथि से 02 दिन पूर्व अर्थात दिनांक **29 अगस्त, 2025** को लोक सेवा आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर श्रुतलेखक से मिल सकते हैं।

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में निर्धारित तिथि 22.08.2025 को सायं 5:00 बजे तक वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय की उपरोक्त ई–मेल आई0डी0 पर उपलब्ध कराने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को ही आयोग द्वारा श्रुतलेखक अनुमन्य किया जाएगा। उक्त तिथि एवं समय के पश्चात श्रुतलेखक उपलब्ध कराये जाने से सम्बन्धित किसी भी दिव्यांग अभ्यर्थी के प्रत्यावेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

-SD-

(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।